

सीलदार (राजस्व)

टी।

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में
प्रार्थना पत्र स0-03/2022 निर्णय दिनांक.02.04.2025।

अनवान : -03/2022

1. गुरचरणसिंह पुत्र हजूरसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

बनाम

- प्रार्थी

1. कलविन्द्र सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
2. जगविन्द्रसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
3. बलकरणसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
4. सम्पूर्णसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
5. जगदीप कौर पत्नी साधुसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
6. जसप्रीत पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
7. मनप्रीत सिंह पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
8. रणजीत कौर पत्नी अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
9. गुरदीपसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
10. सन्तोकसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी ।
11. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।


कारा एवं
कलेक्टर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 03/2022 अनवान गुरचरण सिंह बनाम कलविन्द्र सिंह आदि आदि में निर्णय दिनांक 2/4/25 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टिब्बी को



आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा चक 9 एसएलडब्ल्यू के पठन0 203/312 के मु0न0 34 के किला नं0 21 ता 25 व प0न0 204/312 के मु0न0 33 के किला न0 21 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम प्रत्येक किला में 2 बिस्वा चौड़ाई व प्रत्येक बीघा लम्बाई में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी के चिपते नहीं होने की दशा में उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता की भूमि की एवज के बदले अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के लिए 8 बिस्वा भूमि का वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर से दुगुना प्रतिकर ब0 हिस्सा बराबर व अप्रार्थीया सं0 8 को 2 बिस्वा भूमि के लिए वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर से दुगुना प्रतिकर प्रार्थी से राजकोष में जमा करवाया जाये तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार गै0मु0 रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।




(सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं राज्य सरकार का अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पटन महोदय के कलक्टर संव
सहायक कलक्टर
टिब्बी